<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>विभाजन वाद संख्या–159/2018</u>
<u>CIS NO- P.S.-06/19</u>

सविता रानी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विश्वजीत साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>14.06.2022</u> उभय पक्ष की पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 12.01.2021 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 22.12.2021 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि वादीगण अशिक्षित व देहाती महिलाएँ हैं तथा वादपत्र दाखिल करते समय इनके द्वारा नीलकमल साहा की पुत्रियों के बारे में अपने अधिवक्ता को जानकारी नहीं दी थी। यह कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल बयान तहरीरी दिनांक 24.01.2020 से उजागर हुआ कि नीलकमल साहा अपने पीछे अपनी पत्नी एक पुत्र व 4 पुत्रियों को छोड़कर मरे। इसलिए प्रस्तुत संशोधन आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता हुई। यह कि वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा वादपत्र का भी गठन नहीं हुआ है तथा प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आयेगा। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदन में वर्णित तथ्यों को वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाय।

इस संबंध में प्रतिवादीगण का कहना है कि वादीगण द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन सही तथ्यों पर आधारित नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। यह कि तथाकथित वादिनी सविता रानी अपने आप को इस वाद की संपूर्ण ज्ञाता व वादिनी संख्या–2 गीता रानी दत्तक पुत्री कहती हैं, जबकि इस वाद में दत्तक पुत्री का कोई गोदनामा पेपर नहीं आया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रत्युत्तर को स्वीकार करते हुए वादीगण का आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के बंटवारा हेतु दाखिल किया गया है। वादीगण का कहना है कि अशिक्षित होने के कारण नीलकमल साहा के पुत्र पुत्रियों के संबंध में अपने अधिवक्ता को जानकारी नहीं दी थी, जिस कारण उनके कुछ वारिसानों का नाम वादपत्र में नहीं दिया जा सका। प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा तथा प्रस्तुत वाद में वादपद का भी गठन नहीं हुआ है। अभिलेख परिशीलन से यह भी विदित होता है कि यदि वादीगण का प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत किया जाता है तो इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा तथा प्रतिवादीगण को भी कोई विधिक क्षति नहीं पहुँचेगी। ऐसी दशा में न्यायहीत में वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन मो0–200/– रूपया हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में अपेक्षित संशोधन करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 02.08.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)